न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00465

1. मोहन पुत्र पांथू लाल जाति नायक निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिा कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. प्रेम बाई विधवा पत्नी स्व0 मोहन लाल ।
   1/2. पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
   1/3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
   1/4. मुकेश पुत्र स्व0 मोहन लाल ।
   1/5. कंवर बाई पुत्री स्व0 मोहन लाल ।
   1/6. अनिता कुमारी पुत्री स्व0 मोहन लाल ।
   1/7. रेखा कुमारी पुत्री स्व0 मोहन लाल जाति नायक निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कस्तूरी बाई पुत्री भैरूलाल जाति अहीर निवासी बोरखेडा
   1/1. मोहन लाल पुत्र देवी लाल ।
   1/2. हरदेव पुत्र देवी लाल ।
   1/3. रामस्वरूप पुत्र देवीलाल ।
   1/4. नन्द बिहारी पुत्र देवीलाल जाति अहीर निवासीगण बोरखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
   1/5. लक्ष्मी बाई पुत्री देवी लाल पत्नी बद्री लाल जाति अहीर निवासी गोरधनपुरा मोहनचाट वाले के पास कोटडी कोटा ।
6. पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल जाति अहीर निवासी बोरखेडा जरिये कायममुकामान –
   6/1. रामलाल यादव दूधवाले पुत्र स्व0 पुष्पा बाई निवासी ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 183, 188 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद में कुल 02 किता की रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण की माता स्वर्गीय गुलाब बाई बेवा भैरूलाल के खाते में दर्ज थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 566 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.07 हैक्टर कायम किये गये । सेटलमेंट विभाग द्वारा अवैध रूप से वादीगण के खाते की भूमि कम कर दी गई जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था । सेटलमेंट विभाग को वादीगण के पुराने रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा का नया रकबा 0.52 हैक्टर दर्ज करना चाहिए था परन्तु अवैध रूप से वादीगण को कोई सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वादीगण के खाते की भूमि 0.31 हैक्टर कम कर दी। सेटलमेंट विभाग द्वारा अवैध रूप से गलत मिलान क्षेत्रफल व नक्शा बनाकर वादीगण की भूमि 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 657 में मिला दी गई तथा 0.18 हैक्टर खसरा नम्बर 559/925 में मिलाकर अवैध रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने रकबे में की गई कमी की पूर्ति करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि हाल खसरा नम्बर 566 रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 567 रकबा 0.07 हैक्टर के साथ सिवायचक खसरा नम्बर 657 की 0.13 हैक्टर जिस पर वादीगण काबिज है तथा खसरा नम्बर 559/925 की रकबा 0.18 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में तद्नुसार अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 02 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2006 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2006 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 मोहन लाल के वारिसान अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील पेश की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2012 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

6. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2012 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.06.2018 से वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार गोरधन लाल के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया है । सहखातेदार गोरधनलाल की मृत्यु होने के पश्चात् भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं होने पर द्वितीय श्रेणी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने गोरधन लाल

के हिस्से की आराजी को बिना अपने निर्णय में कोई विवेचन किये बेदखली का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय को सिवायचक रकबे को रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज करने से पूर्व राज्य सरकार का जवाब लिया जाना आवश्यक था जिसके निर्देश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2012 में दिये गये थे । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 559/925 पर अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है । इस पर अपीलान्ट के द्वारा पारिवारिक देवता का चबूतरा बना रखा है । अपीलान्ट के द्वारा पूर्व जो अपील पेश की गई थी उसमें इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.10.2012 को निर्णय पारित करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था और यह निर्देश दिये थे कि मृतक गोरधन लाल के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर साक्ष्य आदि का अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार से जवाबदावा प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । परीक्षण न्यायला ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है । मृतक गोरधन एवं उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है और न ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । गोरधन की मृत्यु हो जाने पर प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने पर द्वितीय श्रेणी के वारिसों को रिकॉर्ड पर लेना चाहिए और कोई भी वारिस नहीं होने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है परन्तु परीक्षण न्यायालय ने गोरधन लाल के हिस्से की आराजी को त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 6 के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते की है । परीक्षण न्यायालय ने अतिक्रमी को बेदखल करने का विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 25.07.2006 को निर्णय पारित किया गया था जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.10.2012 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.06.2007 को निरस्त किया गया था और प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया था कि मृतक गोरधन के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार से जवाबदावा प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करें । इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली दर्ज रजिस्टर की।

परीक्षण न्यायालय में दिनांक 11.07.2013 को प्रतिवादी संख्या 02 के कायममुकामान की ओर से वकालतनामा पेश किया गया । वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया । इसके उपरान्त कई तारीख पेशियॉ बदली गई ओर दिनांक 05.06.2018 को लोक अदालत में बिना रिमाण्ड निर्देशों की पालना किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । इस न्यायालय के द्वारा रिमाण्ड निर्देशों में मृतक गोरधन लाल के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिये गये थे जिनकी पालना नहीं की गई है । न ही राज्य सरकार से जवाबदावा प्राप्त किया गया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये बिना रिमाण्ड निर्देशों की पालना किये जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2012 की पूर्ण पालना करते हुए नये सिरे से विधिक प्रकिया अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा